गुप्तकालीन प्रभाासनिक व्यवस्था की रूपरेखा

मौर्य काल के पतन के बाद भारतवर्श के पावन धरती पर एक नये काल का उदय हुआ जिसे गुप्त काल कहते हैं। गुप्तकाल का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्तकाल में ही मौर्य के पतन के पश्चात् नष्ट हुई भारत की राजनीतिक एकता को गुप्त शासकों ने पुनः अर्जित किया। गुप्तकाल का भाासन काल 320 ई. से लेकर 550 ई. तक माना है। इस युग में भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यक और कला के क्षेत्र के तरह प्रशासनिक व्यवस्था में बहुमुखी उन्नति हुई।

कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के फलस्वरूप समृद्ध हुआ। गुप्तकाल के अभिलेखों में भी गुप्त प्रशासन की प्रसंशा की गई है। गुप्तकाल के प्रशासनिक व्यवस्था से उस समय कोई दुखी, दरिद्र, व्यसनी, कठोर, दण्ड से पीडीत अथवा राजकीय नियंत्रणों से कष्टयुक्त नहीं था। फहीयान ने लिखा है–''भारत के लोग सुखी और सम्पन्न है, उन्हें किसी प्रकार की लिखा–पढ़ी नहीं करनी पड़ती वे न्यायालयों के बंधन से मुक्त भी हैं, जो राजकीय भूमि, जोतते हैं और उपज का अल्प भाग कर के रूप में देना पड़ता है उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है। कठोर दण्ड अथवा मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाता। सम्राट के विरूध्द षड्यंत करने पर दाहिना हाथ काटा जाता हैं।

फहियान ने यहाँ तक लिखा है कि गुप्त काल में ऐसी भाासन व्यवस्था थी जिसमें कहीं भी चोरी डकैटी का भय नही था। गुप्तकाल भाासन व्यवस्था कठोर और सुव्यवस्थित थी।

भाासन व्यवस्था का स्वरूप

गुप्त भाासकों ने मौर्यों के समान विजित प्रदेशों को अपने साम्राज्य में बिलीन नहीं किया तथा अपना राज्य आर्यावत तक ही सीमित रखा। गुप्त साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य के समान केन्द्रिय और वि ाल नहीं था। अनेक सामंत गणराज्य अधिनस्तो राजा आदि थे जो गुप्तों के अधिपत्य को स्वीकार करते थे। जो इस प्रकार है– गुप्तकाल की शासन व्यवस्था का स्वरूप सांमती था।

(1) **सामंतवाद शासन**:–ये नृप, महाराज उपारिक महाराज आदि विरूद धारण करते थे। और अपने राज्य में स्वतंत्रतापूर्वक भाासन करते थे। सामंतों के अलग सेना होती थी सामंत समय–समय पर गुप्त भाासकों को राजस्व और उपहार देते थे। तथा युद्ध के समय सैनिक सहायता भी दिया करते थे। राजकीय उत्सवों पर उपस्थित होकर साम्राट के बैभव को प्रदर्शित करते थे।

गुप्तकालीन में गणराज्यों की व्यवस्था

(2) गणराज्य :– गुप्त साम्राज्य के अधीनता को अनेक गणराज्यों ने स्वीकार किया था।

(3) अधीनस्त राजाः– दक्षिण भारत के अभियान के समय समुद्रगुप्त ने विभिन्न शासकों को पराजित किया था परन्तु उनके राज्यों को नहीं छिना था। जिससे अधीनस्त शासक गुप्तों के आधिपत्य को स्वीकार करते थे।

(4) सीमावर्ती एवं विदेशी शासकः– विभिन्न सीमावर्ती एवं विदेशी शासक भी गुप्तों की अधिनता को स्वीकार किये थे। गुप्त साम्राज्य एक विहद साम्राज्य होने के कारण प्राशानिक सुविधा को देखते हुए इसे दो वर्गों में बाँटा गया जो इस प्रकार है–

(क) केंद्रीय शासनः– गुप्त सामाज्य के केंद्रीय भाासन को अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार हैं।

(i) सम्राट– गुप्तकाल में शासन राजतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था इसलिए सम्राट सभी विभागों का सर्वोच्च होता था। गुप्तशासक राजाधिराज या एकाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे। इस काल में राजा को देव तुल्य तथा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि स्वीकार किया जाता था। राजा युद्धों में सेना का संचालन करता था एवं मंत्रीयों के सहयोग से भाासन करता था। कालीदास के रचना के अनुसार राजा व्यक्तिगत सुख को त्याग कर लोकहीत में संग्लन रहता था राजा ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करते थे जो जनहीत की प्रवृति रखना और न्याय से धन अर्जित करने वाला हो।

(ii) मंत्रीपरिशद्ः– राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्रीपरिशद् होती थी। जिसके सदस्यों को मंत्री कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति राजा स्वय करते थे। मंत्रीयों का पद वैसे प्रायः पैतृक होता था गुप्तकाल के प्रमुख मंत्रियों में हरिशेण, भााव, और शिखर स्वामी तथा पृथ्वीसेन है, कुछ मंत्री राजा को परामर्श देने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण विभागों की देखभाल करते थे, जिसमें महादण्ड नायक और महासंधि विग्रह उल्लेखनिय है।

(iii) केंद्रीय कर्मचारी :– इस काल में नौकरशाही का विशेष महत्व था, केंद्रीय शासन विभिन्न विभागों द्वारा संचालित होता था गुप्तकाल में कुमारामत्य नानक एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था जो आई. ए. एस. अधिकारियों के समान सर्वोच्च वर्ग था। कर्मचारियों को वेतन प्रायः नगद दिया जाता था कुछ कर्मचारियों को भूमि के रूप भी वेतन मिलता था।

सैन्य संगठन

गुप्तकाल केंद्रीय शासन का महत्वपूर्ण अंग सैन्य संगठन था। गुप्तशासको ने सैन्य भाक्ति के बल पर विशाल साम्राज्य कायम किया था राजा सेना का सर्वोच्य सैनापति होता था। वह युद्ध में सेनापति के रूप सेना का संचालन और नेतृव्य करता था। राजा के बाद सेना का सर्वोच्य अधिकारी सेना का सेनापति होता था। जिसे महादण्ड नायक भी कहते थे। इसके अलावे अनेक उपसेनापति होते थे। सेना के चार अंग थे, हस्ति, अश्व, रथ और पदाति। गुप्तकाल में रथ का विशेष महत्व था। सेना के अध्यक्ष को महापरिलुति और अश्वसेना के अध्यक्ष के महा वापति कहते थे। सैनिक युद्ध में फरसा, बाण, भांकु भाक्ति, तोमर आदि शस्त्रों का प्रयोग करते थे। युद्ध के समय गुप्तों के सामंत भी सैनिक सहायता प्रदान करते थे।

(E) पुलिस विभागः– गुप्त सम्राट केंद्रीय भाासन को चलाने के लिए पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। जो देश में आंतरिक भाान्ति और सुरक्षा कायम हो सके। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी ''दण्डपाशिक'' होता था। जिसकी तुलना आधुनिक पुलिस अधीक्षक से की है। इस विभाग के साधारण कर्मचारियों के चाट और भाट अथवा राक्षिन कहा जाता था। फहियान ने लिखा है ''भारत में अपराध बहुत कम होते है और चोरी डकैटी का भय नही था उन्होने यह भी माना कि मैने हजारो मील की यात्रा की थी किन्तु कहीं भी चोर–डाकूओं का सामना नही करना पड़ा।

(F) राजकीय आय का स्त्रोतः– गुप्त काल में सम्राटो के राजकीय आय का प्रमुख श्रोत भूमि कर था। भूमि कर को उपरी कर और उद्रंग कहा जाता था। अस्थाई कृशकों से उद्रग कर लेते थे। उपज का जो हिस्सा राजा को दिया जाता था उरू ''भाग'' कहते थे जो कुल का 1/6 भाग होता था। ग्रामवासियों को मौसमी फल–फुल और ईधन आदि पर भाग कर देना होता था। कारीगरों से उधोग कर लिया जाता था अपराध करने वालों से अर्थदण्ड लिया जाता था। इसके आलवे विजित और सामंत राज्यों से प्राप्त होने वाले कर और उपहार भी राज्यों से प्राप्त होने वाले आय साधन थे इस प्रकार विभिन्न श्रोतों से प्राप्त धन को जनकल्याण और सार्वजनिक हीतों पर खर्च किया जाता था।

(G) न्याय प्रणाली व्यवस्थाः–गुप्त काल में न्याय एवम् दण्ड व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित एवं सुसंगठीत थी न्याय प्रणाली का सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था। गुप्त काल में न्यायालय की चार श्रेणियाँ कुल श्रेणी पुग और राजा का न्यायालय था।

सबसे निम्न स्तर का न्यायालय कुल था। कुल के बाद श्रेणी पुग और अंतिम में राजा का न्याय होता था। न्यायालयों में प्रमाण और गवाही भी ली जाती थी। दिव्य प्रथा भी गुप्त काल में प्रचलित थी।

उपरोक्त न्यायालयों के आलावें पंचायतें भी न्याय का कार्य करती थी। फहियान के वर्णन के अनुसार गुप्त काल में दण्ड व्यवस्था कठोर नहीं थी अंग–भंग और मृत्युदण्ड नहीं दिया जाता था। उन्होंने यहाँ तक बताया है कि गुप्त काल के भाासन काल में अपराध बहुत कम होते थे। जिसके कारण लोगो का न्यायालयों अथवा कानूनो की आव यकता ही नही थी।

निष्कर्ष के रूप में कह सकते है कि गुप्तकाल के भाासन का सर्वेसर्वा राजा होता था वह सेना का संचालन करता था तथा मंत्रियों की भी नियुक्ति राजा ही करता था। जनता का नैतिक स्तर उँचा होता था।

प्रांतीय प्रशासन

शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय भाासन को विकेन्द्रीकरण किया गया गुप्त सम्राट विशाल साम्राज्य स्थापित करने के कारण भाासन में सफलता के लिए केन्द्र और प्रांत को दो भागों में विभाजित कर दिया था प्रांतीय प्रशासन की व्याख्या का वर्णन हमें इस प्रकार कर सकते है।

(A) मुक्ति– गुप्त सम्राट का क्षेत्र अत्यंत विशाल था। जिसके कारण राजा राजधानी में रह कर संभव न था कि वह प्रशानिक कार्य सुचारू रूप से कर सके। जिसके कारण प्रशानिक सुविधा के उद्देश्य से गुप्त साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक प्रांत को मुक्ति, देश भोग आदि कहा जाता था।

गुप्त युग में मुक्ति मगध बर्द्धमान पूर्वी मालावा, पश्चिमी मालावा और सौराष्ट्र थे। मुक्ति मंडल के समान होती थी। इसके अधिकारी उपरिक की नियुक्ति सम्राट करता था। गुप्त कालिन के प्रमुख उपरिक तीरमुक्ति था। राज्यपाल गोविन्द गुप्त (चन्द्रगुप्त द्वितीय का पुत्र) पूर्वी मालावा का धटोत–कक्ष गुप्त, (कुमार गुप्त का पुत्र) और सौराश्ट्र का वर्णदत्त थे। उपरीक के अधीन अनेक कर्मचारी होते थे जिसकी नियुक्ति वह स्वयं करते थे।

(B) विषयः– प्रत्येक मुक्ति अनेक विषयों में विभक्त होता था। विशय आधुनिक जनपद के समान होता था। विशय का सर्वोच्य अधिकारी विशयपति कहलाता था। विशयपति की नियुक्ति उपरीक द्वारा होती थी। प्रशासन में विषयपति की सहायता के लिए एक समिति होती थी। जिसके चार सदस्य नगर श्रेष्ठ सार्थवाह प्रथम कुलीन और प्रथम कायस्त होते थे इसके अलावे तीन पुस्तपाल होते थे जो सभी विशयों का लेखा–जोखा रखते थे।

(C) नगर प्रशासनः– गुप्त काल के प्रांतीय प्रशासन में हर विशय के अन्तगर्त अनेक नगर होते थे। नगर का अधिकारी नगरपति होता था। नगर की व्यवस्था के लिए नगर परिशद् होती थी जो आधुनिक नगरपालिका के समान थी। इस परिशद् का कार्य नगर में भाांति स्थापना सभागृह सरोवर मंदिर और सार्वजनिक कार्यों को करवाना था।

(D) ग्राम प्रशासनः– गुप्त सम्राट की प्रशासन की न्यूनतम ईकाई ग्राम थी। प्रत्येक नगर अनेक गाँवों में विभक्त था। प्रत्येक गाँव के अधिकारी मुखिया ग्रामिक महत्तर आदि कहलाता था। ग्रामीक की सहायता के लिए एक समिति होती थी जिसे ग्राम सभा कहते थे ग्राम सभा का प्रमुख कार्य मुकदमों का निर्णय भूमि की सीमा का निर्धारण सार्वजनिक हीत के कार्य कृशि और सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि गुप्त भाासकों ने अत्यंत उच्च कोटी की भाासन व्यवस्था स्थापित थी। जिससे अपने विशाल साम्राज्य पर सुचारू रूप से भाासन हो सके। डा. अल्तेकर ने गुप्त प्रशासन की प्रसंशा करते हुए लिखा है– ''गुप्त कालिन भाासन प्रणाली तथा उसकी उपलब्धियों के विशय में हमारे पास विस्तृत साम्रगी है जिसके आधार पर यह निश्कर्श निकाला जा सकता है कि केन्द्र और प्रांत दोनो में अत्यंत सुव्यवस्थित थी। ''गुप्त काल में जनता धनी, समृद्ध और धार्मिक थी।